

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-17/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, पिपरा अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना अंतर्गत सरायगढ़ (गढ़िया चौक) से रिफयुजी कॉलनी (कुल लम्बाई 40.99 कि०मी०) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्य में Additional Performance Guarantee तथा कराये गये कार्य से काटी गयी Security Deposit राशि का 50% राशि संवेदक को लौटाने के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता त्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3053(अनु०) दिनांक 13.09.2018 द्वारा विषयांकित कार्य में Additional Performance Guarantee संवेदक को लौटाने के संबंध में स्वीकृति हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, पिपरा अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना अंतर्गत सरायगढ़ (गढ़िया चौक) से रिफयुजी कॉलनी (कुल लम्बाई 40.99 कि०मी०) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्य में Additional Performance Guarantee तथा कराये गये कार्य से काटी गयी Security Deposit राशि का 50% राशि संवेदक को लौटाने के संबंध में ।
2.2	एकरारनामा संख्या	: 51 SBD of 2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹106,52,37,361
2.4	संवेदक का नाम	: ASIP-AMR (JV)
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 25.12.2012
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 24.12.2014
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: कार्य प्रगति में ।

3. संवेदक का अभ्यावेदन :-

विषयांकित कार्य के आलोक में कहना है कि विषयांकित कार्य हमें दिसम्बर 2012 में मिला था और इसे दिसम्बर 2014 (दो वर्षों) में पूर्ण करना था लेकिन Forest Clearance, Land Acquisition एवं अन्य कई कारणों से कार्य बाधित रहने से 5 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इधर इन 5 वर्षों में निर्माण सामग्री का बजार भाव, यात्रिक संसाधनों की कीमत, डीजल का मूल एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि में भारी बढ़ोतरी हो जाने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति दिनोदिन कमजोर होती जा रही है। बैंकों द्वारा अब बैंक गारन्टी एक्सटेंशन करने में भी आनाकानी की जा रही है। इन सबके बावजूद हमने वर्तमान एकरारनामा राशि का लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है।

2018

अतः अनुरोध है कि हमारे एकरारनामा में जमा एडिशनल परफॉमेन्स गारन्टी जो बैंक गारन्टी के शकल में है। हमें वापस करते हुए हमारे विपत्रों से काटी गयी जमानत की राशि हमें वापस करने की कृपा की जाय ताकि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सुधर सकें एवं आगे कार्य की प्रगति को बनाए रखें।





4. **मुख्य अभियंता की अनुशंसा :-**

विषयांकित कार्य ASIP-AMR Joint Venture, site office, Subhash Chowk, Supaul द्वारा एकरारनामा सं०-51/एस० बी० डी०/2012-13 के तहत किया जा रहा है। संवेदक द्वारा उक्त कार्य में Additional Performance Guarantee हेतु जमा किये गये BG को वापस करने एवं साथ-साथ Security Deposit में काटे गए रशि का 50% (पचास प्रतिशत) वापस करने की माँग की गई है। संवेदक द्वारा वर्तमान में भौतिक रूप से 20 कि०मी० SDBC, 26 कि०मी० WMM, एवं 11 अद्द Box Culvert का निर्माण एवं वित्तीय रूप से 62.05 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अधीक्षण अभियंता के प्रासंगिक पत्र के द्वारा संवेदक का जमा किया हुआ Additional Performance Guarantee की राशि एवं साथ-साथ Security Deposit में काटे गए रशि का 50% (पचास प्रतिशत) वापस करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसित प्रस्ताव में Additional Performance Guarantee लौटाने के लिए अनुशंसा के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु समर्पित किया जाता है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-**


5.1 मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3053(अनु०) दिनांक 13.09.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, पिपरा अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना अंतर्गत सरायगढ़ (गढ़िया चौक) से रिफ्युजी कॉलनी (कुल लम्बाई 40.99 कि०मी०) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण कार्य के समानुपातिक रूप में Additional Performance Guarantee की राशि वापस करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अवशेष कार्य को संवेदक त्वरित गति से निष्पादित करायेंगे।

6. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (रजनीश कुमार) उप सचिव -सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।
--	---	--	---

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (संवृ०)-04-194/2018 6616(E) पटना, दिनांक 18/9/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पिपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

X ≠ 